

BPCL/SGA/Forest/6.343 Ha/2017

11.11.2017

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
सहारनपुर (उ.प्र.)

विषय: सहारनपुर नगरीय गैस वितरण परियोजना (सीजीडी प्रोजेक्ट): भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) द्वारा 8" / 6" व्यास की भूमिगत प्रकृतिक गैस पाइपलाइन, सड़कों के समानान्तर जो संरक्षित वन घोषित किए गए हैं जिसकी 6.3430 हे. संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है में पाइपलाइन डालने हेतु अनुमति का प्रस्ताव।

संदर्भ: आपका पत्र संख्या 1158/14-1 दिनांक 05.10.2017.

महोदय,

आपके उपरोक्त पत्रानुसार जो कमियाँ पाई गई थीं, उनका क्रमवार विवरण निम्न प्रकार से है:

क्र.सं.	वन विभाग द्वारा अवलोकित बिन्दु	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तुत विवरण
1	प्रस्ताव के स्थलीय मानचित्र की SHP File, PDF File and KML File soft copy संलग्न नहीं है।	प्रस्ताव के स्थलीय मानचित्र की PDF File एवं KML File वन विभाग की website पर अपलोड की हुई है। PDF की प्रति सभी फाइलों में भी संलग्न है, तथापि एक अतिरिक्त कॉपी पत्र के साथ संलग्न है (Annx-1), SHP File की soft copy CD में संलग्न है।
2	मानक शर्तें संलग्न नहीं हैं।	मानक शर्तें वन विभाग की website पर अपलोड की हुई हैं एवं सभी फाइलों में भी संलग्न हैं, तथापि एक अतिरिक्त कॉपी पत्र के साथ संलग्न है। (Annx-2)
3	राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों के अनुपालना संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों के अनुपालना संबंधी वचन पत्र वन विभाग की website पर अपलोड की हुई है, तथा मूल प्रति एवं प्रतिलिपियां प्रत्येक फाइल में भी संलग्न हैं, तथापि एक अतिरिक्त कॉपी पत्र के साथ संलग्न है। (Annx-3)
4	परियोजनाओं के विभिन्न अवयवों के लिए वन भूमि की आवश्यकता तथा इन अवयवों का	परियोजनाओं के विभिन्न अवयवों के लिए वन भूमि की आवश्यकता तथा इन अवयवों का रेखाचित्र एवं क्षेत्रफल

28-A, ई सी ई हाऊस, कस्तूरबा गांधी मार्ग, पोस्ट बॉक्स नं.-7, नई दिल्ली-110001 फोन : 23316891 फैक्स : 23312078, 23316894
रजिस्टर्ड ऑफिस : भारत भवन, 4 एवं 6 करीमभोय रोड, बेलार्ड इस्टेट, मुम्बई-400001 फोन : 22713000, 22714000 फैक्स : 22713837
सीआईएन : L23220MH1952GO1008931

	स्पष्ट रेखाचित्र एवं क्षेत्रफल गणना संलग्न नहीं है।	गणना वन विभाग की website पर अपलोड की हुई है साथ ही प्रत्येक फाइल में भी संलग्न है तथा एक अतिरिक्त कॉपी पत्र के साथ संलग्न है। (Annx-4)
5	प्रस्ताव में शामिल सभी भूमि एवं गैर वन भूमि का विवरण तथा वृक्षों का विवरण चार्ट संलग्न नहीं है।	प्रस्ताव में शामिल सभी भूमि एवं गैर वन भूमि का विवरण web portal पर अपलोड की हुई है तथा प्रस्ताव के साथ भी संलग्न है (Annx-4/1 & 4/2), वृक्षों का विवरण RFO के साथ संयुक्त निरीक्षण करने के पश्चात यदि काटना आवश्यक हुआ तो RFO की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
6	वैकल्पिक सरखेडों को टोपोशीट में नहीं दर्शाया गया है।	प्रस्तावित गैस पाइपलाइन नगरीय गैस वितरण परियोजना के लिए विभिन्न सड़कों के समानान्तर बिछाई जानी है जिसका वर्तमान में कोई विकल्प नहीं है, संबंधित प्रमाण पत्र वन विभाग की website पर अपलोड की हुई है साथ ही प्रत्येक फाइल में भी संलग्न है तथा एक अतिरिक्त कॉपी पत्र के साथ संलग्न है। (Annx-5)
7	गैर वनभूमि पर किए जाने वाले मलवा निस्तारण के लिए भू-स्वामी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	प्रस्तावित गैस पाइपलाइन नगरीय गैस वितरण परियोजना के लिए सड़कों के समानान्तर तथा भूमिगत बिछाई जानी है जिससे निकलने वाले मलवे को पुनः उस ही नाली (trench) में व्यवस्थित रूप से भर दिया जाएगा। - प्रमाण पत्र संलग्न है। (Annx-6), यहाँ भूस्वामी PWD/NHA है।
8	गैस पाइपलाइन के साथ साथ भूमिगत केबिल की अनुमति हेतु प्रस्ताव पृथक-पृथक प्रेषित करना होगा।	भूमिगत केबिल प्रस्तावित गैस पाइपलाइन का ही अभिन्न हिस्सा (integrated part) है। जिसे पाइप के साथ एक ही नाली (trench) में डाला जाता है, जिसके लिए पृथक-पृथक प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती है।

उपरोक्त को संज्ञान में लेते हुए आपसे अनुरोध है कि प्रस्ताव से संबंधित पालनाओं का परीक्षण कर योग्य कार्यवाही करने का कष्ट करें।

धन्यवाद

भवदीय,


विजय दुग्गल

मुख्य महाप्रबंधक (गैस)

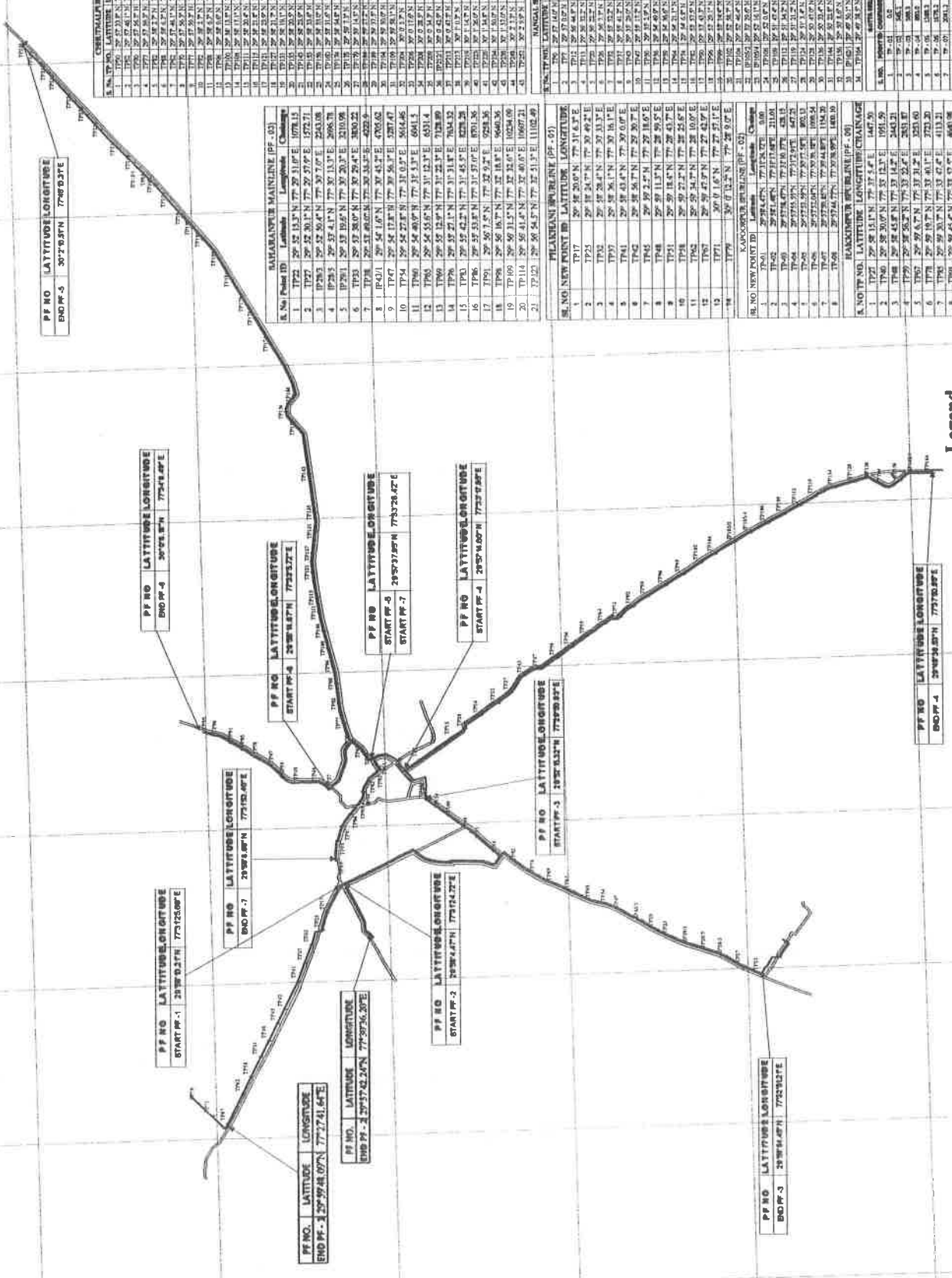
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

संलग्न उपरोक्तानुसार



Geo-reference Map for Laying of BPCL's underground 200 mm dia Steel/ MDPE Natural Gas Pipeline along/ across existing roads & other utilities to set-up City Gas Distribution (CGD) Network - Division of 6.343 ha Forest Land for laying pipeline parallel & across to various Roads (side strip land) declared as Protected Forest in District Saharanpur.

4



PF NO	LATITUDE	LONGITUDE
END PF-3	30°19'58"N	77°09'37"E

PF NO	LATITUDE	LONGITUDE
END PF-4	30°02'57"N	77°04'49"E

PF NO	LATITUDE	LONGITUDE
START PF-1	29°58'03"N	77°02'50"E

PF NO	LATITUDE	LONGITUDE
END PF-7	29°58'03"N	77°02'50"E

PF NO	LATITUDE	LONGITUDE
START PF-4	29°58'03"N	77°02'50"E

PF NO	LATITUDE	LONGITUDE
START PF-3	29°58'03"N	77°02'50"E
START PF-2	29°58'03"N	77°02'50"E

PF NO	LATITUDE	LONGITUDE
START PF-4	29°58'03"N	77°02'50"E

PF NO	LATITUDE	LONGITUDE
END PF-3	29°58'03"N	77°02'50"E

PF NO	LATITUDE	LONGITUDE
END PF-2	29°58'03"N	77°02'50"E

PF NO	LATITUDE	LONGITUDE
START PF-2	29°58'03"N	77°02'50"E

PF NO	LATITUDE	LONGITUDE
START PF-3	29°58'03"N	77°02'50"E

PF NO	LATITUDE	LONGITUDE
END PF-3	29°58'03"N	77°02'50"E

PF NO	LATITUDE	LONGITUDE
END PF-4	29°58'03"N	77°02'50"E

Legend
 — Road
 — Forest
 — Non-forest



SR. NO.	PF NO.	LATITUDE	LONGITUDE
1	1700	29°58'03"N	77°02'50"E
2	1701	29°58'03"N	77°02'50"E
3	1702	29°58'03"N	77°02'50"E
4	1703	29°58'03"N	77°02'50"E
5	1704	29°58'03"N	77°02'50"E
6	1705	29°58'03"N	77°02'50"E
7	1706	29°58'03"N	77°02'50"E
8	1707	29°58'03"N	77°02'50"E
9	1708	29°58'03"N	77°02'50"E
10	1709	29°58'03"N	77°02'50"E
11	1710	29°58'03"N	77°02'50"E
12	1711	29°58'03"N	77°02'50"E
13	1712	29°58'03"N	77°02'50"E
14	1713	29°58'03"N	77°02'50"E
15	1714	29°58'03"N	77°02'50"E
16	1715	29°58'03"N	77°02'50"E
17	1716	29°58'03"N	77°02'50"E
18	1717	29°58'03"N	77°02'50"E
19	1718	29°58'03"N	77°02'50"E
20	1719	29°58'03"N	77°02'50"E
21	1720	29°58'03"N	77°02'50"E
22	1721	29°58'03"N	77°02'50"E
23	1722	29°58'03"N	77°02'50"E
24	1723	29°58'03"N	77°02'50"E
25	1724	29°58'03"N	77°02'50"E
26	1725	29°58'03"N	77°02'50"E
27	1726	29°58'03"N	77°02'50"E
28	1727	29°58'03"N	77°02'50"E
29	1728	29°58'03"N	77°02'50"E
30	1729	29°58'03"N	77°02'50"E
31	1730	29°58'03"N	77°02'50"E
32	1731	29°58'03"N	77°02'50"E
33	1732	29°58'03"N	77°02'50"E
34	1733	29°58'03"N	77°02'50"E
35	1734	29°58'03"N	77°02'50"E
36	1735	29°58'03"N	77°02'50"E
37	1736	29°58'03"N	77°02'50"E
38	1737	29°58'03"N	77°02'50"E
39	1738	29°58'03"N	77°02'50"E
40	1739	29°58'03"N	77°02'50"E
41	1740	29°58'03"N	77°02'50"E
42	1741	29°58'03"N	77°02'50"E
43	1742	29°58'03"N	77°02'50"E
44	1743	29°58'03"N	77°02'50"E
45	1744	29°58'03"N	77°02'50"E
46	1745	29°58'03"N	77°02'50"E
47	1746	29°58'03"N	77°02'50"E
48	1747	29°58'03"N	77°02'50"E
49	1748	29°58'03"N	77°02'50"E
50	1749	29°58'03"N	77°02'50"E
51	1750	29°58'03"N	77°02'50"E
52	1751	29°58'03"N	77°02'50"E
53	1752	29°58'03"N	77°02'50"E
54	1753	29°58'03"N	77°02'50"E
55	1754	29°58'03"N	77°02'50"E
56	1755	29°58'03"N	77°02'50"E
57	1756	29°58'03"N	77°02'50"E
58	1757	29°58'03"N	77°02'50"E
59	1758	29°58'03"N	77°02'50"E
60	1759	29°58'03"N	77°02'50"E
61	1760	29°58'03"N	77°02'50"E
62	1761	29°58'03"N	77°02'50"E
63	1762	29°58'03"N	77°02'50"E
64	1763	29°58'03"N	77°02'50"E
65	1764	29°58'03"N	77°02'50"E
66	1765	29°58'03"N	77°02'50"E
67	1766	29°58'03"N	77°02'50"E
68	1767	29°58'03"N	77°02'50"E
69	1768	29°58'03"N	77°02'50"E
70	1769	29°58'03"N	77°02'50"E
71	1770	29°58'03"N	77°02'50"E
72	1771	29°58'03"N	77°02'50"E
73	1772	29°58'03"N	77°02'50"E
74	1773	29°58'03"N	77°02'50"E
75	1774	29°58'03"N	77°02'50"E
76	1775	29°58'03"N	77°02'50"E
77	1776	29°58'03"N	77°02'50"E
78	1777	29°58'03"N	77°02'50"E
79	1778	29°58'03"N	77°02'50"E
80	1779	29°58'03"N	77°02'50"E
81	1780	29°58'03"N	77°02'50"E
82	1781	29°58'03"N	77°02'50"E
83	1782	29°58'03"N	77°02'50"E
84	1783	29°58'03"N	77°02'50"E
85	1784	29°58'03"N	77°02'50"E
86	1785	29°58'03"N	77°02'50"E
87	1786	29°58'03"N	77°02'50"E
88	1787	29°58'03"N	77°02'50"E
89	1788	29°58'03"N	77°02'50"E
90	1789	29°58'03"N	77°02'50"E
91	1790	29°58'03"N	77°02'50"E
92	1791	29°58'03"N	77°02'50"E
93	1792	29°58'03"N	77°02'50"E
94	1793	29°58'03"N	77°02'50"E
95	1794	29°58'03"N	77°02'50"E
96	1795	29°58'03"N	77°02'50"E
97	1796	29°58'03"N	77°02'50"E
98	1797	29°58'03"N	77°02'50"E
99	1798	29°58'03"N	77°02'50"E
100	1799	29°58'03"N	77°02'50"E

मानक शर्तें व मानने का वचनपत्र

(वन विभाग, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या 7314 / 14-1980 / 82 दिनांक 31-12-84 द्वारा निर्धारित)

विषय: सहारनपुर शहरी गैस वितरण परियोजना (CGD Project): भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) द्वारा 8"/6" व्यास की भूमिगत प्राकृतिक गैस पाईपलाईन, सड़कों के समांतर जो की संरक्षित वन जाहें किये हुए हैं, 6.3430 हेक्टेयर संरक्षित वन प्रभावित हो रही है, में पाइपलाईन डालने हेतु अनुमति का प्रस्ताव,

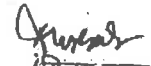
1. भूमि हस्तांतरण के बाद भी उस के वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भांति संरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जाएगा। अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाए की मांगी गई भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. अधोहस्ताक्षरी विभाग, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएंगे और ऐसा किया जाने पर संबन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से संबन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में कराएगा तथा इस संबंध में बनाए गए मुनारे आदि का भी देख-रेख करेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तांतरण यथासंभव प्रस्तावित न किया जाये। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना संभव होगा परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा कि क्षतिपूर्ण एवं वन जन्तुओं के स्वच्छंद विचरण कि व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जाएगी।
9. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन के लिए करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जाएगी। वन भूमि कि आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किए वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जाएगी।
10. वन भूमि का मूल्य संबन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य संबंधी प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होगा। जो याचक विभाग को मान्य होगा।
11. हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक वृक्ष के स्थान पर 10 वृक्षों का रोपण तथा 3 वर्षों तक परिपोषण व्यय या जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाए, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30° से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध है। इसी प्रकार बांज के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
12. वन भूमि के नीचे से गैस पाईप लाईन ले जाने में यथासंभव पेड़ों का कटान नहीं किया जाएगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है। तो न्यूनतम पेड़ोंकी संख्या संयुक्त स्थान निरीक्षण करके संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जाएगी जिस पर संबन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।
13. यदि नहर आदि निर्माण में भू-रक्षण की संभवना होती है और नहर के दोनों पट्टियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो याचक इसे अपने व्यय से स्वयं करायेगा।
14. उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती है तो याचक विभाग को मान्य होगी।



15. वन विभाग द्वारा वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाए जब शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाए अथवा उसका उचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाए।

मै, विजय दुग्गल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से यह वचन देता हूँ की उपरोक्त उल्लेखित सभी शर्तें हमें मान्य हैं तथा उनका अनुपालन किया जाएगा।

दिनांक: 16/08/2017


(विजय दुग्गल)

मुख्य महाप्रबन्धक (गैस)
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

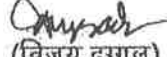


अनुक्रमांक - 20

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों को मान्य होने का वचन पत्र

विषय: सहारनपुर शहरी गैस वितरण परियोजना (CGD Project): भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) द्वारा 8"/6" व्यास की भूमिगत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, सड़कों के समांतर जो की संरक्षित वन जाहेर किये हुए है, 6.3430 हेक्टेयर संरक्षित वन प्रभावित हो रही है, में पाइपलाइन डालने हेतु अनुमति का प्रस्ताव,

प्रमाणित किया जाता है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड उपरोक्त परियोजना हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा भविष्य में कोई भी शर्त अधिरोपित कि जाती है तो उनको भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड मानने के लिए वचनबद्ध है।


(विजय दुग्गल)

मुख्य महाप्रबन्धक (गैस)
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड



Calculation of Area for City Gas Distribution Network in Saharanpur GA.

Sr. No.	BPCL Pipeline Connectivity	Length of Pipeline	Width in Mtr.	Total Area (in ha.)	Length of Forest Land (in Km.)	Width in Mtr.	Forest Land (in ha.)	Length of Non Forest Land (in Km.)	Width in Mtr.	Non Forest Land (in ha.)
1	Pikharai Branch Line	13.200	1	1.3200	6.626	1	0.663	6.574	1	0.657
2	Nakur Road Branch Line	1.650	1	0.1650	1.65	1	0.165	0	1	0.000
3	Saharanpur Main Line	11.300	1	1.1300	9.885	1	0.988	1.415	1	0.142
4	Nagal Branch Line	16.320	1	1.6320	16.32	1	1.632	0	1	0.000
5	Chhulmulpur Branch Line	24.400	1	2.4400	21.548	1	2.155	2.852	1	0.285
6	Hakimpura Branch Line	5.350	1	0.5350	4.52	1	0.452	0.83	1	0.083
7	Gatkarai Branch Line	2.881	1	0.2881	2.881	1	0.288	0	1	0.000
	Total	75.101		7.510			6.343			1.167

Date : 16.08.2017

For Bharat Petroleum Corporation Limited



Vijay Duggal
Vijay Duggal
Chief General Manager (Gas)

Calculation Non Forest Area for City Gas Distribution Network in Saharanpur GA

(1) Pilkhani Branch Line – laying of Natural Gas Pipeline

Length of pipeline = 6.574 Km

Area = Length 6574 m X 1 m width

= 6574 Sq.Mtr.

= 0.6574 Hectare

(2) Saharanpur Main Line – laying of Natural Gas Pipeline

Length of pipeline = 1.415 Km

Total Area = Length 1415 m X 1 m width

= 1415 Sq.Mtr.

= 1.415 Hectare

(3) Chhutmulpur Branch Line – laying of Natural Gas Pipeline

Length of pipeline = 2.852 Km

Total Area = Length 2852 m X 1 m width

= 2852 Sq.Mtr.

= 0.2852 Hectare

(4) Hakimpura Branch Line – laying of Natural Gas Pipeline

Total length of pipeline = 0.83 Km

Total Area = Length 830 m X 1 m width

= 830 Sq.Mtr.

= 0.0830 Hectare

Total Forest Area = 1.1671 Hectare

Date : 01.09.2017

For Bharat Petroleum Corporation Limited



Vijay Duggal

Chief General Manager (Gas)

Calculation Forest Area for City Gas Distribution Network in Saharanpur GA

- (1) Pilkhani Branch Line – laying of Natural Gas Pipeline
 Length of pipeline = 6.626 Km
 Area = Length 6626 m X 1 m width
 = 6626 Sq.Mtr.
 = 0.6626 Hectare
- (2) Nakur Road Branch Line – laying of Natural Gas Pipeline
 Length of pipeline = 1.65 Km
 Area = Length 1650 m X 1 m width
 = 1650 Sq.Mtr.
 = 0.1650 Hectare
- (3) Saharanpur Main Line – laying of Natural Gas Pipeline
 Length of pipeline = 9.885 Km
 Total Area = Length 9885 m X 1 m width
 = 9885 Sq.Mtr.
 = 0.9885 Hectare
- (4) Nagal Branch Line – laying of Natural Gas Pipeline
 Length of pipeline = 16.320 Km
 Area = Length 16320 m X 1 m width
 = 16320 Sq.Mtr.
 = 1.6320 Hectare
- (5) Chhutmulpur Branch Line – laying of Natural Gas Pipeline
 Length of pipeline = 21.548 Km
 Total Area = Length 21548 m X 1 m width
 = 21548 Sq.Mtr.
 = 2.1548 Hectare
- (6) Hakimpura Branch Line – laying of Natural Gas Pipeline
 Total length of pipeline = 4.52 Km
 Total Area = Length 4520 m X 1 m width
 = 4520 Sq.Mtr.
 = 0.4520 Hectare
- (7) Gattamil Branch Line – laying of Natural Gas Pipeline
 Total length of pipeline = 2.881 Km
 Total Area = Length 2881 m X 1 m width
 = 2881 Sq.Mtr.
 = 0.2881 Hectare

Total Forest Area = 6.343 Hectare

Date : 01.09.2017

For Bharat Petroleum Corporation Limited



Vijay Duggal
 Vijay Duggal

Chief General Manager (Gas)

अनुक्रमांक - 16

वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि न होने का प्रमाणपत्र

विषय: सहारनपुर शहरी गैस वितरण परियोजना (CGD Project): भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) द्वारा 8"/6" व्यास की भूमिगत प्राकृतिक गैस पाइपलाईन, सड़कों के समांतर जो की संरक्षित वन जाहेर किये हुए है, 6.3430 हेक्टेयर संरक्षित वन प्रभावित हो रही है, में पाइपलाईन डालने हेतु अनुमति का प्रस्ताव,

प्रमाणित किया जाता है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा भूमिगत प्राकृतिक गैस पाइपलाईन सड़कों के समांतर डाला जाना है, जो की संरक्षित वन जाहेर की हुई है, जिसका कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। इस परियोजना से कोई भी पारंपरिक वन प्रभावित नहीं हो रहा है।

दिनांक: 16/08/2017


(विजय दुग्गल)मुख्य महाप्रबन्धक (गैस)
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

Muck Disposal Management Plan

The preparing FCA Case if there is any activity in the project which involves the digging of land muck disposal management plan as to be prepared.

Sr. No	Particulars	Description
1	Calculation of muck to generated. Swell factor has to be applied.	Nil
2	Quantity of muck to be utilized in the project activities.	100% muck shall be utilized in the project for backfilling of trench.
3	Balance quantity of muck which requires disposal/management plan.	Not applicable
4	Carriage of muck from the muck generation site to the dumping site.	Not applicable
5	Ownership of land and the consent to land owner in case muck disposal is proposed on non-forest land.	Not applicable
6	Photograph & carrying capacity of proposed dumping site.	Not applicable
7	Development of dumping site construction of retaining walls and other structure as per requirement.	Not applicable
8	Rehabilitation of dumping site like leveling, planting of grass, shrubs and trees.	Not applicable

Signature of User Agency.

